न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 3/2019 निर्णय दिनांक :– 30-12-19

उनवान

1. गुलाब देवी पत्नि रामकरण
2. रमेश चन्द
3. रामफूल
4. मोहनलाल
5. राकेश

समस्त पुत्रान रामकरण

6. संतरा पुत्री रामकरण

समस्त जाति मीना निवासी परमानन्दपुरा उर्फ मण्डालिया तहसील कोटखावदा जयपुर।

––प्रार्थी

बनाम

1. लल्लूराम पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी परमानन्दपुरा उर्फ मण्डालिया तहसील कोटखावदा, जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।.

---अप्रार्थी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की उप धारा (1) के अन्तर्गत

प्रार्थीगण ने खातेदारी भूमि में रास्ता चाहने हेतु राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम नंबर 3) की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम परमानन्दपुरा उर्फ मण्डालिया में खसरा नम्बर 398 रकबा 0.02 है0, 401/445 रकबा 0.07 है0, 402 रकबा 0.62 है0, 402/449 रकबा 0.01 है0 जो परमानन्दपुरा उर्फ मण्डालिया मे स्थित है जो आवेदक की स्वामित्व एवं खातेदारी भूमि है उक्त भूमि में आने जाने हेतु लल्लुराम पुत्र गंगाराम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 403 रकबा 0.07 है0 399/435 रकबा 0.32 है0, 408 रकबा 0.39 है0 में से प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु 12 फिट चौडाई के नये रास्ते हेतु भूमि चाही जा रही जिसकी प्रार्थीगण को अत्याधिक आवश्यकता है। आवेदक की एवं अन्य खातेदारान की भूमि का मौका निरीक्षण संबंधित भू0 अभिलेख निरीक्षक से करा लिया जावे। आवेदक रास्ते की भूमि का नियमानुसार मुआवजा देने

उ... अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

को तैयार हैं। अतः प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में इसे रास्ता दर्ज किया जावे। नक्शा रास्ते की भूमि का संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि :-

ग्राम परमानन्दपुरा उर्फ मण्डालिया के ख.न. 403, 399 ६ 435, 408 जा कि खातेदार लल्लूराम पुत्र गंगू मीना राहिन एसबीआई शाखा चाकसू के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थगण के द्वारा ख.न. 403, 399 /435, 408 में से रास्ता चाहा गया है जो कि रास्ते के लिये प्रभावित भूमि ख.न. 403 रकबा 0.07 हैक्ट. में से रकबा 0.01 हैक्ट. व ख.न. 399/435 रकबा 0.32 हैक्ट. में से रकबा 0.02 हैक्ट. ख0न0 408 रकबा 0.36 हैक्ट. में से रकबा 0.02 हैक्ट. इस प्रकार कुल रकबा 0.05 हैक्ट. भूमि रास्ते से प्रभावित होती है एवं कुल रकबा 5 एयर की वर्तमान डीएलसी रिपोर्ट के अनुसार 62370 रू. अक्षरे बासठ हजार तीन सौ सत्तर रूपये बनती है। रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

जवाब सरकार पेश होने पर अप्रार्थी की तरफ से वकील हाजीर आया व जवाब सरकार पर प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि :- प्रस्तुत जांच रिपोर्ट प्रार्थीगण गुलाब देवी वगैरा को सो पहुंचाने के लिये ऑफिस मे बैठकर तैयार की गयी है।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

तहसीलदार जी ,गिरदावर जी , पटवारी जी . कोई मौके पर नही गये । बिना प्रार्थी लल्लूलाल को सुचना दिये मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के प्रतिकूल है। उक्त प्रार्थीगण गुलाब देवी वगैरा के आने जाने के लिये कदीमी सरकारी रास्ता पहले से ही मौजूद है द्य जो खसरा नंबर 170, 173 गै0मु0 रास्ता डामर रोड ग्राम समेल से परमानंदपुरा उर्फ मंडालिया को होता हुआ ग्राम द्वारकपुरा को जाता है। जो सरकारी रास्ता खसरा नंबर 369,350 में होता हुआ चारागाह खसरा नंबर 362 में मिलता है उक्त चारागाह प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 401 वाके ग्राम परमानंदपुरा उर्फ मंडालिया एंव खसरा नंबर 766, 767 ग्राम जगसरा, तहसील निवाई मे मिलता है उक्त रास्ते मे होकर प्रार्थगण अपनी खातेदारी मे आते जाते है, अगर तहसीलदार जी, गिरदावर जी, पटवारी जी मौके पर जाते तो स्थित साफ हो जाती । प्रार्थीगण को फायदा पहुंचाने की गरज से जानबूझकर इस रास्ते को मौका रिपोर्ट मे छिपाया गया है इस प्रकार उक्त तैयार की गयी रिपोर्ट बिना मौके पर गये हुये तैयार की गयी है। उक्त रिपोर्ट मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 406 रकबा 0.05 है0 एंव खसरा नंबर 403 रकबा 0.07 है0 के टुकडे रास्ता दिये जाने के बाद इस प्रकार से होते है कि बची हुयी भूमि मे ट्रेक्टर भी नही चल सकेंगा। इसलिये यह भूमि अप्रार्थी लल्लूलाल के लिये अनुपयोगी हो जावेगी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

एंव उक्त दोनो खसरा नंबर अप्रार्थी की पहुंच से दूर हो जावेंगे इस प्रकार उक्त रिपोर्ट मे प्रार्थगण को बेशकीमती फायदा पंहुचाया गया है। यह कि अगर किंसी खातेदार के लिये पहले से ही जाने के लिये रास्ता मौजूद हो तो उसे नया रास्ता दिया जाना धारा 254(क) के प्रावधानो के विपरीत है । इस प्रकरण मे प्रार्थगण के पास पहले से ही आने जाने का रास्ता मौजूद है । लेकिन उक्त रिपोर्ट मे जानबूझकर पहले से विधमान रास्ते को छिपाते हुये प्रार्थीगण को नया रास्ता दिया गया है । जो पद के दुरूपयोग की श्रेणी मे आता है । आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त मौका जांच रिपोर्ट को निरस्त कर तहसीलदार जी से पुनः जांच रिपोर्ट मंगाये जाने की कृपा करे ।

जवाब सरकार पर प्रारंभिक आपत्ति पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र की प्रति वकील प्रार्थीगण को दी गयी तो प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर सीधे ही बहस करना चाहे जाने पर बहस प्रारंभिक करना चाहे जाने पर बहस प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र की पक्षकारान वकी की सुनी गयी व प्रार्थना पत्र व जवाब सरकार का परीक्षण किया गया तो प्रारंभिक आपत्ति अप्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है मौका रिपोर्ट पटवारी गिरदावर द्वारा मौका निरीक्षा कर बनाई गयी है जो प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व नक्शे को देखने से सही प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में वकील अप्रार्थी

...ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

की प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र सारहीन एवं बिना तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है. जो खारिज किये जाने योग्य हाने से अप्रार्थी का प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। व प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस करते हुये कथन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिये रास्ते की आवश्यकता है तथा प्रार्थी नियमानुसार अप्रार्थी को डीएलसी दर से दुगनी राशि बतौर मुआवजा अदा करने को तैयार है भू0 अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से भी प्रार्थी के केस व मांग की पुष्ठि होती है इस कारण प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड देखा, गिरदावर की रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा राजस्थान सरकार काश्तकारी अधिनियम में नई जोडी गयी धारा 251 ए का परीक्षण किया गया तो पाया कि प्रार्थीगण ने 12 फीट चौडा रास्ता चाहा है कानून के अनुसार दिया जा सकता है, इस प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर प्रारंभिक आपत्ति पेश की जो भी खारिज की जा चुकी है। इस प्रकार गिरदावर हल्का की रिपोर्ट से प्रार्थी के केस की ताइद होती है। कानून की इस धारा अनुसार इस तरह से प्रार्थना पत्र को संक्षिप्त विचरण से तय करना है तथा किसी प्रकार के अतिरिक्त सबूत लेने की आवश्यकता नही है।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है प्रार्थी द्वारा चाही गयी 12 फिट के रास्ते के हिसाब से 0.05 एयर होती है। जिसके लिये डी0एल0सी0 दर के हिसाब से 62370/– की दुगनी राशि 124740/– मुआवजा तय किया जाता है।

प्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित मुआवजा राशि खातेदार के नाम से न्यायालय में पेश करे चैक जमा होने पर तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे कि वो रास्ते के प्रभावित भूमि खसरा नम्बर 403 रकबा 0.07 हे0 में से रकबा 0.01 है0 399/435 रकबा 0.32 है0 में से रकबा 0.002 है0 व खसरा नम्बर 408 रकबा 0.36 है0 में से 0.02 है0 इस प्रकार कुल रकबा 0.05 है0 भूमि को नक्शे अनुसार रास्ते में दर्ज करे तथा इस भूमि के खातेदार की खातेदारी अधिकार समाप्त करे।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.02.12 16:15:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: